न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौंहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 38 / 2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
अमराराम पुत्र समरथाराम जाति कोली निवासी बामनवाडा जिला जालोर		1. पोपट वल्द कस्तुरा 2. भूरी पत्नि कस्तुरा 3. मासुंगाराम पुत्र कस्तुरा जातियान कोली निवासीयान बामनवाडा 4. शाखा प्रबंधक जालोर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा रानीवाडा 5. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा बडगांव 6. तहसीलदार (भूमिधारी) रानीवाडा जिला जालोर

अन्तर्गत धारा 251 ए राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई।
2. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से मोहनलाल विश्नोई।
3. अप्रार्थी संख्या 6 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा

निर्णय

दिनांक – 08.02.2023

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है, जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सरहद मौजा बामनवाडा तहसील रानीवाडा में प्रार्थी के नाम दर्ज खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 337 रकबा 0.39 हैक्टेयर में खसरा नम्बर 338 रकबा 0.28 हैक्टेयर के कोने से लेकर बडगांव से मण्डार जाने वाली पक्की डामर सडक तक आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 से 03 के नाम मौजा बामनवाडा में दर्ज खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 355 रकबा 0.41 हैक्टेयर के दक्षिण पश्चिमी माठ तथा ग्राम वासोल गुजरात की सीमा के बीच लगतो लगत 24 फीट चौडाई में प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 337 की सीमा तक लम्बाई में सबसे निकटतम दुरी से नया रास्ता घोषित किया जाने का आदेश किया जावें। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 355 रकबा 0.41 हैक्टेयर में से नया रास्ते के रूप में 24 फीट चौडाई में खसरा नम्बर 337, 338 की सीमा तक लगने वाली नवीन रास्ते के लम्बाई की गणना कर रास्ते के उपयोग में आने वाली कृषि भूमि क्षैत्रफल के वर्तमान डीएलसी दर से दुगुणी राशि न्यायालय हाजा द्वारा कायम कर प्रार्थी को निर्णय अनुसार रास्ते के प्रतिफल स्वरूप राशि भुगतान प्रार्थी करने हेतु तैयार है। अतः श्रीमानजी नवीन घोषित रास्ता माफिक नजरी नक्शा परिशिष्ठ अ में दर्शाये मार्क ए से बी से सी अनुसार 24 फीट चौडाई के रास्ता राजस्व रेकर्ड में रास्ते के रूप में प्रार्थी के हक में नामान्तकरण अमल दरामद कर नक्शा ट्रेस में नया रास्ता तरमीम करने हेतु तहसीलदार साहब रानीवाडा को तहरीर जारी कर नया रास्ता आवागमन हेतु खोलने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:16:19 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गए। अप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर वकालतनामा पेश किया गया। व जवाब दिया गया।

3. अप्रार्थी संख्या 6 भूमिधारी तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट पेश की गई। जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अमराराम पुत्र समरथाजी कोली निवासी बामनवाड़ा के खसरा नंबर 337 रकबा 0.39 हैक्टर के खातेदार है। उक्त खसरा नंबर 337 में आने जाने के लिए कोई रेकर्डेड रास्ता नहीं है व इन्हें आवागमन हेतु रास्ते की आत्यधिक आवश्यकता है। खसरा नंबर 337 में आवागमन हेतु नजदीकतम मार्ग/सरकारी रेकर्डेड रास्ता खसरा नंबर 367 रकबा 9.43 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन सड़क है। खसरा नंबर 367 (सरकारी रास्ता) से प्रार्थी के खसरा नंबर 337 तक आवागमन हेतु निकटतम प्रस्तावित रास्ते के मध्य आने वाला खसरा नंबर 355 रकबा 0.41 हैक्टर है जो वर्तमान जमाबंदी में पोपट, मासुगाराम पि. कस्तुरा, भूरी पुत्री कस्तुरा कौम कोली साकिन बामनवाड़ा के नाम दर्ज हैं उक्त प्रस्तावित रास्ता खसरा नंबर 355 में दक्षिण पूर्वी माठ से लगता हुआ 210 गुणा 4 बराबर 840 वर्गमीटर अर्थात 0.0840 हैक्टर है। प्रस्तावित रास्ते में नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार एक पानी का कुंड (टांका) सीमेंट का बना हुआ है व एक शहतुत का पेड़ खड़ा है। अन्य कोइ संरचना/पहाड़/नाडी आदि नहीं है।

4. तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति करते हुए मौके के आलामात सहित दुबारा मौका देखने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर बाद सुनवाई तहसीलदार रानीवाडा से अप्रार्थी अधिवक्ता की आपत्ति को ध्यान में रखते हुए पुन मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसमें तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कथन किया कि मौजा बामनवाड़ा के खसरा नंबर 337 वादी अमराराम पुत्र समरथाजी जाति कोली सा.देह की खातेदारी आराजी है जिसमें आने–जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। खसरा नंबर 337 के पश्चिम दिशा में लगता हुआ खसरा नंबर 336 है जो रेकर्ड में वादी के पिता समरथाराय पुत्र खुमाजी कोली के नाम दर्ज है। समरथाराम फौत होने से उसके पुत्र(वादी) अमरथाराम व उसके भाईयों द्वारा खसरा नंबर 336 में काश्त की जा रही है। खसरा नंबर 337, 336 की दक्षिणी माठ पर पड़ौसी राज्य गुजराम की सीमा आई हुई हैं। वादी अमराराम द्वारा मौके पर उसकी खातेदारी से लगते पड़ौसी गुजरात राज्य के खेतों के नक्शें की छायाप्रति पेश की जो संलग्न है। उक्त नक्शे अनुसार मौजा बामनवाड़ा के खसरा नंबर 337 व 336 से लगता गुजरात राज्य में कोई रेकर्डेड रास्ता दर्ज नहीं है। मौके पर वादी की खातेदारी मौजा बामनवाड़ा के खसरा नंबर 337 व उसके पिता के नाम दर्ज खातेदारी खसरा नंबर 336 के पश्चिम दिशा में स्थित पड़ौसी खसरा नंबर 333 व 334 की दक्षिणी माठ के लगतों लगत (गुजरात सीमा में स्थित खेतों की उतरी माठ के सहारे) मौके पर कच्चा रास्ता स्थित है जो संलग्न नजरी–नक्शा परिशिष्ठ 'ए' में बिन्दु ए से बी लाल स्याही से दर्शाया गया है उक्त रास्ता गुजरात राज्य की हद में है व अस्थायी है जो खसरा नंबर 336 के दक्षिण–पश्चिमी कोने पर आकर समाप्त हो जाता है।

5. अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब दिया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदारजी रानीवाडा की मौका फर्द [illegible] 7.06.2022 में मौके पर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 336 [illegible] स्थित होना बताया है। मौके पर रास्ता का विकल्प मौजूद होने की दशा में [illegible] रास्ते हे प्रार्थना पत्र पेश नहीं कया जा सकता है। प्रार्थी के नाम [illegible] खसरा नम्बर 337 से लगती हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:16:19 IST
Reason: SelfAttested

आराजी खसरा नम्बर 338 व 336 दोनो ही आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आई हुई है। वर्तमान में खसरा नम्बर 338 व 336 की आराजी प्रार्थी के पिता समरथाराम के नाम से दर्ज हैं, मगर समरथाराम फौत हो चुके है। इसलिये प्रार्थी व प्रार्थी के भाईयो के नाम से उक्त खातेदारी काननून प्रभाव में आ चुकी है। प्रार्थी अमराराम सहित कुल 2 भाई व 4 बहने है तथा अमराराम की माता भी जीवित है। उक्त आराजी के मात्र राजस्व रेकर्ड का संधारण बाकी है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 336 तक मौके पर वैकल्पिक रास्ता आया हुआ है। तथा वैकल्पिक रास्ता के चालु रहते कोई भी खातेदार धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के तहत नया रास्ता की मांग नहीं की जा सकती है। इस प्रकार प्रार्थी को रास्ते की आंत्यान्तिक आवश्यकता नहीं है। साथ ही खसरा नंबर 338 रकबा 0.38हे. के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए पक्षकारों के अभाव में प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। प्रार्थी ने धारा 251 'क' आर.टी.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया हैं उसके अलावा प्रार्थी को मौके पर रास्ता उपलब्ध हैं, को हल्का तहसीलदारजी की मौका फर्द दिनांक 17.06.2022 में स्पष्ट दर्ज किया गया है। संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये मार्क बी से सी स्थान की खातेदारी आराजी खसरा नंबर 338 के वर्तमान खातेदारों को प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार नहीं बनाया हैं तथा पक्षकार बनाकर खातेदारों की बिना सुनवाई किया जाना तथा बिना सुनवाई का अवसर दिये कानूनीया प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं रह जाता हैं, जो आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के विपरित होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारीज है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज फरमावे।

6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीया की आराजी खसरा नम्बर 337 में आवागमन हेतु नजदीकतम दूरी खसरा नम्बर खसरा 355 में से रास्ता दिये जाने का न्यायहित में आदेश फरमावें। अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए वैकल्पिक रास्ता होने से प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

7. हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज का अध्ययन किया। उभयपक्ष के विद्वांन अधिवक्ताओं के बहस तथ्यों पर मनन किया। तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट दिनांक 21.09.2021 व 17.06.2022 का गहनता से अवलोकन किया करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी मौजा बामनवाडा में खेत खसरा नम्बर 337 रकबा 0.39 हैक्टेयर में प्रार्थी द्वारा आवागमन हेतु मौजा बामनवाडा के खसरा नम्बर 367 (डामर सड़क) तक रास्ता चाहा गया है जिसके बीच में खसरा नम्बर 335 रकबा 0.41 हैक्टेयर की खातेदारी आराजी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की आई हुई है। इस रास्ते को लिंग करने पर बीच में अवरोध के रूप में एक पानी का कुंड(टांका) सीमेंट का बना हुआ है। व एक शहतुत का पेड खडा है। लेकिन तहसीलदार रानीवाडा द्वारा रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 में बताया कि प्रार्थी के खसरा नंबर 337 के पश्चिम दिशा में लगता हुआ खसरा नंबर 336 है जो रेकर्ड में वादी के पिता समरथाराय पुत्र खुमाजी कोली के नाम दर्ज है। समरथाराम फौत होने से उसके पुत्र(वादी) अमरथाराम व उसके भाईयों द्वारा खसरा नंबर 336 में काश्त की जा रही है। खसरा नंबर 337, 336 की दक्षिणी माठ पर पड़ौसी राज्य गुजराम की सीमा आई हुई हैं। नक्शे अनुसार मौजा बामनवाड़ा के खसरा नंबर 337 व 336 से लगता गुजरात राज्य में कोई रेकर्डेड रास्ता दर्ज नहीं है। मौके पर वादी की खातेदारी मौजा बामनवाडा के खसरा नंबर 337 व उसके पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:16:19 IST
Reason: SelfAttested

के नाम दर्ज खातेदारी खसरा नंबर 336 के पश्चिम दिशा में स्थित पड़ौसी खसरा नंबर 333 व 334 की दक्षिणी माठ के लगतों लगत (गुजरात सीमा में स्थित खेतों की उतरी माठ के सहारे) मौके पर कच्चा रास्ता स्थित है जो संलग्न नजरी–नक्शा परिशिष्ठ 'ए' में बिन्दु ए से बी लाल स्याही से दर्शाया गया है जो खसरा नंबर 336 के दक्षिण–पश्चिमी कोने पर आकर समाप्त हो जाता है। खसरा नम्बर 336 राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के पिता समरथाराम के नाम दर्ज है। समरथाराम फौत होने से उसके पुत्र (प्रार्थी) अमरथाराम व उसके भाईयों द्वारा खसरा नंबर 336 में काश्त की जा रही है। अतः खसरा नम्बर 336 तक वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। व खसरा नम्बर 336 की माठ खसरा नम्बर 337 से लगती है। अतः उक्त आराजी प्रार्थी की आराजी है। व वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए 2 (। व ।।) के अनुसार "यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है: और अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया " ऐसी स्थिति में ही नये रास्ते को दिया जा सकता है। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में तहसीलदार रानीवाडा की रिपोर्ट दिनांक 17.06.2022 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार मार्क A से B तक खसरा नम्बर 336 तक वैकल्पिक रास्ता होना बताया गया है। व खसरा नम्बर 336 प्रार्थी के पिता समरथाराम के नाम जो फौत होने से प्रार्थी व इनके भाईयों द्वारा काश्त की जा रही है। व इसकी माठ पर प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 337 स्थित है। जिस में से प्रार्थी आवागमन कर सकता है।

उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी की आराजी मौजा बामनवाडा के खसरा नम्बर 337 में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिती में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

–: आदेश :–

8. उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का वैकल्पिक रास्ता होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता के अभाव में खारिज किया जाता है। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा वहन करें।

(कुसुमलता चौंहान)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2023.03.17 17:16:19 IST
Reason: SelfAttested